# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 48/2024

कुरड़ाराम पुत्र मंगलाराम, जाति जाट निवासी गोदारों का बास, भोड़की तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू (राज0)।

–अपीलान्ट

–बनाम–

1. फूलचन्द पुत्र चिमनाराम, जाति जाट निवासी गोदारों का बास, भोड़की, तहसील गुढा गौड़जी जिला झुंझुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढा गौड़जी,जिला झुन्झुनू (राज0)।

–रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.2024 न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी, मु0नंबर 06/2024 उनवानी फूलचन्द बनाम कुरडाराम को अपास्त करने हेतु।

उपस्थितिः–

1. श्री अरविन्द सैनी, एडवोकेट –– ––––––––––––अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र भाम्बू, एडवोकेट––––––––––––रेस्पोन्डेन्ट नंबर 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ––––– राज0 सरकार की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 12/8/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – "एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जिला कलक्टर झुंझुनू को इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी ने उसके रास्ते को बन्द कर दिया है जिस पर उक्त आवेदन पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के यहां प्रेषित करने पर प्रकरण धारा 251 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 11.1.2024 को प्रकरण में अपीलार्थी को तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.1.2024 की नियत की गई तथा दिनांक 16.1.2024 को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.1.2024 नियत की जाकर बिना अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत हेतु अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया तथा रास्ते को खोलने बाबत आदेशित किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 18.1.2024 के विपरित माननीय हाजा न्यायालय में अपील पेश की तथा उक्त अपील में आदेश पारित करके माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में विवादित रास्ते की भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर उभय पक्षकारान को विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः [illegible] निर्णय पारित करें, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.06.2024 को प्रक[illegible] पुनः दर्ज कर आगामी पेशी 26.6.2024 नियत की गई, लेकिन उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक [illegible]2024 को बिना किसी आदेश अथवा प्रार्थना पत्र के पुनः प्रक[illegible] तारीख पेशी में लिया [illegible] प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.6.2024 नियत की और दिनांक 24.6.2024 को आक्षेपित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:29:32 IST
Reason: SelfAttested

आदेश पारित करके अपीलार्थी को मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने बाबत पाबन्द किया और पटवारी हल्का को पार्थी की बुवाई हेतु वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने हेतु लिखा जावे आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया गया कि–'' अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज करते ही अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया गया जबकि प्रकरण में जिस तथाकथित स्थल से रास्ता होना अंकित किया गया है, उक्त भूमि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित करते समय अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया गया था कि तहसीलदार स्वयं मौका देखकर पुनः सुनवाई का विधिसम्मत अवसर देकर आदेश पारित करे, लेकिन तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा कोई मौका नहीं देखा गया और अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरित जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो अवैध व शून्य है। अंत में अपील प्रस्तुत कर न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2024 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एवं विवादित रास्ते की भूमि का बिना मौका देखे ही आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो अवैध व शून्य है। अंत में न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2024 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का कथन है कि अपील में इस न्यायालय द्वारा आदेश कर पूर्व में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है जिस पर दिनांक 03.06.2024 को प्रकरण पुनः दर्ज हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.6.2024 फाईनल आदेश नहीं है। साक्ष्य एवं मौका रिपोर्ट में पत्रावली दिनांक 02.07.2024 की तारीख पेशी नियत है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी के यहां विचाराधीन है, जिसमें रेस्पोडेन्ट की प्रार्थना पर वर्षात शुरू होने पर खेत मे फसल काश्त करने हेतु वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था हेतु लिखा गया है और अपीलान्ट रास्ते को नहीं रोके इस बाबत पाबन्द करवाया गया है। उक्त आदेश न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश नहीं है। अपीलांट जानबूझकर प्रकरण में देरी करने के आशय से बार–बार अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलांट को उक्त विवादित रास्ते की भूमि के संबंध में जो भी साक्ष्य [illegible] अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24.6.2024 में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील अपीलांट सारहीन है, अतः खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Saini
Date: 2024.09.06 11:29:32 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिंघाना की पत्रावली के अवलोकन किया । हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी के यहां विचाराधीन है, जिसमें रेस्पोडेन्ट की प्रार्थना पर वर्षात शुरू होने पर खेत मे फसल काश्त करने हेतु वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था हेतु हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को लिखा गया है और अपीलान्ट को दौराने फैसला विवादित रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने बाबत पाबन्द करवाया गया है और प्रकरण में नियत तिथि दिनांक 02.7.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। आदेश दिनांक 24.6.2024 से एवं रेस्पोडेन्ट की फसल हेतु वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था हेतु लिखे जाने से अपीलांट को क्या नुकसान हुआ है, अपीलांट क्यों आपति प्रकट कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2024 फाईनल आदेश नहीं है। अगर विवादित रास्ते की भूमि पर उसका कोई विधिक हक हिस्सा है तो वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करें बार–बार अपील प्रस्तुत कर अनावश्यक देरी व व्यवधान पैदा न कर न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.6.2024 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2024 उनवानी फूलचन्द बनाम कुरड़ाराम मु0नं0 06/2024 धारा 251 आर. टी.एक्ट यथावत रखा जाता है। हस्तगत प्रकरण में उभय पक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रामरतन सौकरिया )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:29:32 IST
Reason: SelfAttested